


09.1.23 पत्रावली पेश। वादी की ओर से कोई  
अस्थित नहीं। वादी एवं वकील वादी को पुले  
न्यायालय में ब्याक - ब्याक जोर - जोर से आवाजे  
लगाने पर भी उपस्थित नहीं। अतः यह पत्रावली  
अदालत में एवं अदालत सत्र में इसी स्वर  
पर खारिज की जाती है। पत्रावली वादतरतीब  
तममील होश खारिज हस्ता हो।

  
(अप्रिया शिरोडू)  
उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना